

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 561
जिसका उत्तर दिनांक 20.07.2022 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सुरक्षा उपाय

561. श्री एस. ज्ञानतिरावियम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या देश के अधिकांश परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं हैं;
- (ख) क्या सभी परमाणु संयंत्रों में विकिरण संबंधी दुर्घटनाएं एक सामान्य घटना बन गई हैं; और
- (ग) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसी दुर्घटनाओं का संयंत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

- (क) जी, नहीं। नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं अर्थात् स्थल चयन, डिजाइन, निर्माण, कमीशनन और प्रचालन में संरक्षा पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का प्रचालन अत्यधिक प्रशिक्षित और लाइसेंसधारी कार्मिकों द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया और तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप कड़ाई से किया जाता है। ठोस नियामक क्रियाविधि मौजूद है और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) तथा परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (ईईआरबी) द्वारा आवधिक संरक्षा समीक्षाएं निष्पादित की जाती हैं। आगे, संरक्षा निश्चल नहीं है और उद्विकासी वैश्विक मानकों, घटनाओं और प्रचालन अनुभव प्रतिपुष्टि के आधार पर नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में सुधार/उन्नयन किए जाते हैं।
- (ख) जी, नहीं।
- (ग) उपरोक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।
